न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती बिन्दू बाला राजावत आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या. 57/2019
किस्म :— प्रार्थना—पत्र
दायर दिनांक : 09.07.2019 निर्णय दिनांक : 27.11.2025

उनवान

1. खेमा ऊर्फे खेमराज पिता रूपा जी कुमावत निवासी बामणियांकला तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद मृतक के बजाय विधित प्रतिनिधि:—
   1/1 श्री जगदीश चन्द्र पिता खेमराज कुमावत
   1/2 श्री चुन्नी लाल पिता खेमराज कुमावत
   1/3 श्री रामचन्द पिता खेमराज कुमावत
   1/4 श्री बालूराम पिता खेमराज कुमावत
   1/5 श्रीमती कमला देवी पुत्री खेमराज कुमावत
   1/6. श्रीमती अम्बा देवी पुत्री खेमराज कुमावत
   1/7 श्रीमती अणछी देवी विधवा खेमराज कुमावत
2. भेरूलाल पिता रूपा जाति कुमावत
   समस्त निवासीयान बामणियाकलां तहसील रेलमगरा जिला—राजसमन्द

— प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती मांगी पुत्री गोकल जी कुमावत
2. श्रीमती चांदी पुत्री गोकल जी कुमावत
3. श्रीमती सोसर पुत्री गोकल जी कुमावत
4. टमु पुत्री गोकल जी कुमावत
5. श्रीमती बाली बाई विधवा गोकल जी कुमावत गोत्र रेणिवाल
   समस्त निवासीयान बामणिया कला तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रेलमगरा प्रतिवादीगण

.....विपक्षीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट आदेश 39 नियम 1—2 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता

प्रार्थी की ओर से :— अधिवक्ता सुरेन्द कुमार मेहता
विपक्षीगण की ओर से :— अधिवक्ता अनुपस्थित

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट आदेश 39 नियम 1—2 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम बामणियांकला की सीमा में स्थित खाता संख्या 293 की आराजी संख्या 2229 क्षेत्रफल 02 बीघा 09 बिस्वा चाही लगान 13.48 पैसे होकर आराजी चाह नम्बर 2227 से सिंचित होती है। उक्त आराजी गोकल पिता गंगाराम कुमावत गोत्र बडियार निवासी बामणियांकलां के नाम पर दर्ज थी जिससे प्रार्थीगण के पिता ने कई वर्षो पूर्व खातेदार से बिल एवंज 125 रूपये में संवत् 2015 में खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया तब से लगाकर आज दिन तक प्रार्थीगण काविज होकर शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करते आ रहे है। गोकल पिता गंगाराम कुमावत जो हमारे भाई बंद थे जो करीब 100 वर्ष से पूर्व बामणियांकला की सकूनत छोड कर रेवास (मंदसौर) चले गये और उनकी चलाचल सम्पत्ति वहीं है। बामणियांकला में उनकी कोई जायदाद शेष नहीं रही। गोकल की मृत्यु रेवास में ही हो गई, उसके पुत्र रामलाल से आशु पिता मोडा जी कुमावत ने एक नुमाइशी दिखावटी विकय पत्र तादादी 20,000/— रूपये का लिखवाकर नामान्तकरण उसके पक्ष में करवा लिया, जिसका पता प्रार्थीगण के पिता को लगने पर उस नामान्तकरण संख्या 527 की अपील पेश गई जो दिनांक 17.09.1987 को मंजुर होकर आशु पिता मोडा का नामान्तकरण खारिज कर दिया गया। आशु पिता मोडा ने प्रार्थीगण के पिता के विरूद्ध एक वाद पत्र स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाई, जिसके प्रकरण संख्या 103 सन् 84 मु.रे. होकर दिनांक 30.10.1986 को खारीज फरमा दी गई और मूल वाद प्रकरण संख्या 173 सन् 84 मु.रे. वाद भी खारिज हो गया। आशु के नाम का नामान्तकरण खारीज हो जाने के पश्चात् से आज दिन तक उसने कोई किसी प्रकार का हस्तक्षेप अथवा आपत्ति नहीं की और न ही उसने उक्त फैसलों के विरूद्ध अपील वगैराह की है। तात्पर्य यह है कि प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु के पश्चात् प्रार्थीगण निर्विघ्न निरन्तर काविज है और अपने पिता के साथ भी काविज रहे कभी कोई किसी प्रकार का एतराज नही किया। प्रार्थीगण ने ही कुएं को निर्मित कराया और बिजली विभाग से विद्युत कनेक्शन प्रार्थीगण को पिता ने लिया जो उनके नाम पर अंकित है। प्रार्थीगण अशिक्षित होकर ग्रामीण परिवेश के निवारी है और जमीन पर निर्विघ्न काविज होने से उन्हे भूमियां उक्त फैसलो के बाद करवाने की जरूरत महसूस नही कर पाये। वे इस भरोसे रह गये कि इन फैसलों के बाद

उनके नाम पर जमीन आ गई होगी। बामणियाकला मे गोकल पिता गंगाराम कुमावत गोत्र रेणियाल रहते है जिसका इस जमीन पर कभी कोई कब्जा नही रहा और न उसका कभी कोई स्वत्व ही रहा, जिससे इस आराजी का नामान्तकरण विपक्षी के पिता की मृत्यु के बाद विपक्षीगण के नाम कर दिया गया। जिसकी प्रार्थीगण को तत्काल कोई जानकारी नही हो पाई। पटवारी हल्का के पास नकल खेवट लेने जाने पर सर्वप्रथम यह जानकारी हुई. जिससे प्रार्थीगण के लिये स्वत्व घोषणा का दावा पेश करना लाजमी हो गया। प्रार्थीगण अपने स्वत्व की घोषणा करवा कर अभिलेख मे अपना नाम अंकित करवाने के अधिकारी है विपक्षीगण के नाम होने से वे खुर्द–बुर्द कर अन्य को हस्तान्तरण कर सकते है इसलिये उनके विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाया जाना आवश्यक हो गया है। अन्यथा प्रार्थीगण को भारी असुविधा होगी अन्य अपरिहार्य क्षति होगी, जिसकी पूर्ति अर्थ में सभव नही होगी तथा आपसी वैमनस्य हो मुकदमें बाजी बढने की सभावना होगी। विपक्षीगण को इस गलत अंकन के बारे मे कहे जाने पर उन्होने कहा की आप अपने नाम पर करवा लेवे हमे कोई आपत्ति नहीं है। विपक्षी सख्य 06 के भूमि धारी होने से पक्षकार बनाया गया है उनके विरूद्ध कोई सहायता वाछित नही है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि विपक्षीगण के विरूद्ध अविलम्ब अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी फरमाई जावे की वाद के निस्तारण तक वे उनके परिवारजन तथा नौकर चाकर कोई भी वादग्रस्त भूमि मे हस्तक्षेप नही करे न ही खुर्द बुर्द करे और किसी भी तरह से हस्तान्तरण संबंधी कोई प्रलेख नही लिखे न पजीयन करावे तथा ऐसे कृत्य अन्य से भी नही करावे। दौराने कार्यवाही विपक्षीगण कोई अवैध कार्य कर एवं अन्य किसी को भी हस्तान्तरण करदे तो निरस्त फरमाया जाकर पूर्ववत् स्थिति कायम कराई जावे। प्रार्थना पत्र का व्यय आदि दिलवाया जावे। जो कोई समुचित सहायता प्रार्थीगण प्राप्त करने का अधिकारी है वह भी दिलवाया जावे। वकील मेहनताना इत्यादि भी दिलवाया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता विष्णु कुमार यादव ने मूल वाद में वकालत नामा प्रस्तुत किया एवं जवाब पेश कर विपक्षीगण अधिवक्ता ने दिनांक 19.12.2019 को आदेश 07 नियम 11 का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जिस तथाकथित दस्तावेज के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा हेतु उक्त वाद आप न्यायालय में प्रस्तुत किया गया वह उन तथाकथित दस्तावेज के आधार पर वादपत्र सुनवाई का अधिकार केवल मात्र सिविल न्यायालय को है। दिनांक 02.03.2020 को प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा आदेश 07 नियम 11 के प्रार्थना पत्र को जवाब प्रस्तुत किया जिसमें निवेदन किया की कृषि भूमि से संबंधित घोषणा एवं अन्य सहायता के लिए राजस्व न्यायालय को ही श्रवणाधिकार है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण द्वारा आदेश 07 नियम 11 पर बहस सुनी गई उक्त प्रकरण मे प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 को अस्वीकार किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थी संख्या 01 की मृत्यु होने से प्रा.पत्र आदेश 22 नियम 03 प्रस्तुत किया विपक्षी अधिवक्ता द्वारा अनापत्ति जाहिर की गई। आदेश 22 नियम 03 का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाकर संसोधित शीर्षक पेश किया गया जिसे शामिल फाईल किया गया। दिनांक 18.07.2024 को उक्त प्रकरण में विपक्षीगण के अधिवक्ता को न्यायलय सहायक कर्मचारी से आवाजें लगवाई किन्तु कोई उपस्थित नही हुआ जिससे विपक्षीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश किये गये।

प्रार्थी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई एवं प्रार्थना–पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पूर्व में भी वादग्रस्त जमीन के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो रखी है जो आदेश पत्रावली पर प्रस्तुत जिसका अनुशीलन किया गया। राजस्व ग्राम बामणियांकला की सीमा में स्थित खाता संख्या 293 की आराजी संख्या 2229 क्षेत्रफल 02 बीघा 09 बिस्वा चाही लगान 13.48 पैसे होकर आराजी चाह नम्बर 2227 से सिंचित भूमि के संबंध में अत्याधिक आवश्यकता प्रथम दृष्टया प्रकरण का होकर सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पास में होकर प्रकरण में प्रार्थी अपूरणीय क्षति होने की संभावना प्रकट होती है।

अतः प्रकरण में वादग्रस्त सम्पति के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वाद के निस्तारण तक विपक्षीगण वादग्रस्त कृषि भूमियों में हस्तक्षेप नहीं करे न ही खुर्द बुर्द करे न ही हस्तान्तरण संबंधी कोई प्रलेख लिखे न ही पंजीयन करावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहें।

(बिन्दू बाला राजावत **RAS**)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
(राजसमंद)

निर्णय आज दिनांक **27.11.2025** को खुले न्यायालय मे आदेश सुनाया गया।

(बिन्दू बाला राजावत **RAS**)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
(राजसमंद)